पत्रांकः— 14/ए0एफ0—29/2019...

बिहार सरकार

शिक्षा विभाग

प्रेषक,

अरशद फिरोज,
सरकार के उप सचिव

सेवा में,

कुलसचिव,
बी0आर0ए0 बिहार विश्वविद्यालय,
मुजफ्फरपुर।

पटना, दिनांक......./......./2021

विषयः— पंडित वेदानन्द उमेश मिश्र रामजानकी कॉलेज, महुआ, वैशाली को स्नातक कला एवं विज्ञान संकायो में पास एवं प्रतिष्ठा स्तरों में सत्र 2021—24 एवं 2022—25 के लिए अस्थायी संबंधन प्रदान करने के संबंध मे।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक आपके विश्वविद्यालय के पत्रांक—B/757 दिनांक 27.05.2020 एवं पत्रांक—B/1024 दिनांक 14.08.2020 तथा समाहर्त्ता, वैशाली के पत्रांक—1016 दिनांक—11.11.2020 के प्रसंग में निदेशानुसार कहना है कि बिहार राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1976 की धारा—21 (2) (d) के अधीन एवं राज्यपाल सचिवालय से निर्गत परिनियम संख्या—1098 दिनांक 19.04.1986, पत्रांक 3196 दिनांक—14.12.2017 एवं पत्रांक—3074 दिनांक—25.10.2019 के अन्तर्गत राज्य सरकार ने पंडित वेदानन्द उमेश मिश्र रामजानकी कॉलेज, महुआ, वैशाली को स्नातक कला एवं विज्ञान संकायो में पास एवं प्रतिष्ठा स्तरों के निम्न विषयों में सत्र 2021—24 एवं 2022—25 के लिए अस्थायी संबंधन प्रदान करने के संबंध मे सहमति प्रदान की है।

क्र० सं०	संकाय	विषय
01	कला संकायः (पास एवं प्रतिष्ठा)	हिन्दी, अंग्रेजी, भूगोल, समाजशास्त्र, मनोविज्ञान, अर्थशास्त्र, दर्शनशास्त्र, ऊर्दू, संगीत, संस्कृत, इतिहास, गृह विज्ञान, परसियन, एल0एस0डब्लू0 एवं ग्रामीण अर्थशास्त्र (कुल 15 विषय)
02	विज्ञान संकायः (पास एवं प्रतिष्ठा)	भौतिकी, रसायनशास्त्र, जन्तु विज्ञान, वनस्पतिशास्त्र गणित एव इलेक्ट्रॉनिक्स (कुल 06 विषयो में)

वाणिज्य संकाय के विषयों में पूर्ण रूपेण शिक्षक नहीं रहने के कारण वाणिज्य संकाय का संबंधन प्रदान नहीं किया गया है।

निदेश दिया जाता है कि भविष्य में अगर महाविद्यालय परिनियमानुसार संबंधन के सभी मानकों/शर्त्तो को पूरा करता है तो परिनियम में निहित प्रावधानों के अन्तर्गत स्थायी संबंधन से संबंधित अनुशंसा उपलब्ध करायी जाय।

आगामी अनुशंसा के पूर्व इस संबंध में मापदंड पूर्ण करने का निदेश संस्था को दें। साथ हीं, परिनियम में अंकित शर्त्तो/मानकों के पूरा नहीं किये जाने एवं अस्थायी संबंधन के अनुशंसा की स्थिति में इसके औचित्य पर प्रकाश डालें।

सक्षम प्राधिकार का आदेश प्राप्त है।

विश्वासभाजन

ह0/—

(अरशद फिरोज)
सरकार के उप सचिव

Affi Letter 2021

296

ज्ञापांक– 14/ ए0एफ0–29/2019...– 685 पटना, दिनांक 01/07/2021

प्रतिलिपिः– माननीय शिक्षा मंत्री के आप्त सचिव/अपर मुख्य सचिव, शिक्षा विभाग के आप्त सचिव/विशेष सचिव, शिक्षा विभाग के निजी सहायक/उप सचिव, शिक्षा विभाग/निदेशक, उच्च शिक्षा/सचिव, पंडित वेदानन्द उमेश मिश्र रामजानकी कॉलेज, महुआ, वैशाली को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(2) आई0टी0 मैनेजर, शिक्षा विभाग को निदेशित किया जाता है कि विभागीय वेबसाईट पर इसे अपलोड किया जाय।

(अरशद फिरोज)
सरकार के उप सचिव